तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/174/2024/जयपुर(ग्रामीण)** **सुमन रेगर बनाम बद्री व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.01.2024	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री गिरीश पारीक, कैवियटकर्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगर्ण की बहस निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धारा 96 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र के साथ बिना वादपत्र में पक्षकार सम्मिलित हुये अपील पेश की गयी। उपरोक्त प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किये बिना एकपक्षीय रूप से प्रार्थीया को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–2023 की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रार्थीया को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल किये जाने की कार्यवाही करने पर प्रार्थीया द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया था। जिसमें परीक्षण न्यायालय ने वाद के विचाराधीन रहने के दौरान विवादित आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश प्रदान किये थे। परंतु अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/174/2024/जयपुर(ग्रामीण)** **सुमन रेगर बनाम बद्री व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से विवादित आराजी के मौके एवं स्वरूप में परिवर्तन होने एवं आराजी के हस्तांतरण व खुर्द–बुर्द होने की संभावना बढ़ेगी। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवदेन किया। विद्वान अभिभाषक कैवियटकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलांट जो कि विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय कर भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि भूमि को जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरीद करने से उसके हक व अधिकार अप्रार्थी/क्रेता को प्राप्त हो गये। इसलिये अप्रार्थी/क्रेता विवादित भूमि का खातेदार कातश्कार है। प्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय में एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली जिसे रेस्पो0 के हक व अधिकार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे है। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते हुये अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित करने के निर्देश दिये है जो विधिसम्मत है। अपनी पुरजोर बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18–12–2023 से विवादित आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किया था। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28–12–2023 से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/174/2024/जयपुर(ग्रामीण)** **सुमन रेगर बनाम बद्री व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्रियान्विती को स्थगित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि के संबंध में वाद अभी भी परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, जिसमें गुणावगुण पर प्रकरण का समय पर अंतिम निर्णय होना अपेक्षित है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन वाद में गुणावगुण पर समुचित निर्णय हो सके, प्रकरण में वाद बाहुल्यता ना बढे, विधिक जटिलताएं ना बढे इसलिए विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति को संरक्षित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। परिणामस्वरूप यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को इस स्तर पर आंशिकरूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित पाते है। इसलिए निगरानी को आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2023 न्यायोचित व विधिसम्मत नहीं होने से उसे अपास्त करते हुये परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौंमू को यह निर्देश देना उचित समझते है कि वह उनके यहां विचाराधीन प्रकरण का उभयपक्षों की समुचित सुनवाई करते हुये दो माह में निस्तारण करे, तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की आज दिनांक की यथास्थिति बनाये रखेगें। उभयपक्ष परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौंमू के समक्ष दिनांक 19.02.24 को उपस्थित होवें। प्रकरण उक्तानुसार निर्णित किया जाता है। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	